REVIEW OF RESEARCH

जम्मू कश्मीर की समस्या : विधिक एवं समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. गिरीश गौरव

सचिव , जम्मू–कश्मीर अध्ययन केन्द्र पटना (बिहार)
सह–अतिथि प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश.

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 8 | MAY - 2019

प्रस्तावना :–

जम्मू कश्मीर भारत एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसने इस विराट राष्ट्र को आकार और विस्तार दिया, जो 1947 तक भी पंजाब से अफगानिस्तान तक फैला था। जहाँ से कारवां पख्तून, उज्बेक, ताजिक, कजाख के बीच से फारस और ईरान से होकर यूरोप की सीमाओं तक जाते थे। जिस मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाने लगा, उसका अधिकांश भाग इसी क्षेत्र से होकर जाता था। कश्मीर केवल व्यापार का मार्ग नहीं था, सभ्यता के विभिन्न आयामों के विकास का भी केन्द्र था। वह चाहे वास्तु शिल्प हो या चित्र कला, भाषा साहित्य हो या व्याकरण, काव्य शास्त्र हो या अलंकार, इतिहास हो या दर्शन। जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और बाल्टिस्तान, भारत के चारों महान दर्शनों वेदांत, शैव, बौद्ध और वैष्णव का संगम रहा है। जहाँ से ऐसे बौद्धिक रत्न पैदा हुए जो आज भी विश्व भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में चित्रकला की विभिन्न शैलियों ने अपनी छाप भारत से बाहर भी छोड़ी है। राज्य की प्राचीन तंत्र कला हो या बौद्ध गोम्पाओं की भित्ति चित्रकारी या फिर बसौली की सूक्ष्म चित्र कला हो, इनकी चर्चा आज भी विश्वभर में होती है।

जम्मू कश्मीर केवल एक पवर्ताच्छादित घाटी ही नहीं है, वह पहाड़ों के बीच घाटियों को एक ऐसा लम्बा सिलसिला है जो दर्जनों नदियों और दर्रों, मैदानों के अपने विस्तार में लपेट लेता है। ललितादित्य की सेनाएँ दक्षिण से उत्तर तक और पूर्व से पश्चिम तक अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल हुई थी। कश्मीरी राजा जानते थे कि उत्तर पश्चिम के सभी दर्रों को सुरक्षित रखना न केवल कश्मीर और पंजाब को सुरक्षित रखना होगा अपितु भारत की सम्पूर्ण सुरक्षा के लिए भी आवश्यक था। महाराजा रणजीत सिंह से पहले, केवल कश्मीर के ललितादित्य ने ही काबुल को काबू करके उस समरनीति का परिचय दिया जो हम आजादी के तुरंत बाद भूल गये।

यह सब राष्ट्र की ऐतिहासिक धरोहर है। यह हमारा इतिहास है, हमारी विरासत हैं जिसे सम्भालना हमारा कर्त्तव्य है। लेकिन इसका एक वर्तमान भी है। बिना वर्तमान के न तो हम अतीत में गोते लगा कर अनमोल रत्न खोज सकते हैं और न ही भविष्य के झरोखे से आने वाले काल का आकलन कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान को तो जांचना ही होगा और उसी में से अपने अतीत और भविष्य को जोड़ने वाले तार खोजने होंगे। उन कारकों की पहचान करनी होगी जो जम्मू कश्मीर के भीतर संवाद सूत्रों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान के जिन अनुच्छेदों को लेकर राज्य में निरन्तर बहस चलती रहती है, उनकी प्रकृति और पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है।

15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी मिली, मगर आजादी के साथ ही 'ब्रिटिश इंडिया' राज्य के दो टुकड़े कर दिये गये 'ब्रिटिश इंडिया' राज्य का एक भाग बना पाकिस्तान। पाकिस्तान निर्माण के समय से ही यह नया देश भारत के लिए सिर दर्द बना रहा तो उसका कारण कहीं न कहीं हमारे शासन तंत्र की इच्छा का अभाव एवं देश के जनता के बीच भ्रमपूर्ण जानकारी, इस बनी– बनाई जानकारी के द्वारा ही जम्मू कश्मीर

को पूरा का पूरा देश भ्रम की स्थिति में पिछले 70 वर्षों से रह रहा है।

विश्व पटल पर पाकिस्तान एवं इस्लामिक दुनिया के द्वारा कश्मीर– घाटी में उसके पैसे एवं संसाधनों पर पलने वाले अलगाववादी और तथाकथित मानवाधिकारवादियों के निरंतर भारत विरोधी अभियान ने यह धारणा बनाने का एक असफल प्रयास विभाजन के सात दशक बाद भी जारी रखे हैं कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में लेकर बहुत विवाद है। भ्रम की स्थिति होने के कारण देश का सामान्य नागरिक भी इस भ्रम में कभी–कभी आ जाता है एवं इन बातों पर भरोसा करने लगता है एवं उसे भी लगने लगता है कि जम्मू–कश्मीर की स्थिति बाकी देशों से थोड़ा अलग है उसे कुछ विशेष दर्जा दिया गया है प्रमाण के रूप में लोग मानते हैं कि उसका अलग झण्डा, वहाँ का अपना संविधान है, पूरे देश से अलग वहाँ का विधानसभा है, जहाँ पूरे देश में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, वहीं जम्मू–कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, अगर सही रूप से देखने का प्रयास किया जाय तो विवाद का यह सारा आधार पूरा का पूरा मनगढ़ंत एवं बनावटी है पाकिस्तान भारत के तथाकथित बुद्धिजीवियों एवं भारत विरोधी प्रेरित तत्वों के द्वारा विवाद का यह सारा मिथ्यों की रचना की गयी है भारत निष्ट जिम्मेवार लोगों की रहस्यमय और अपराधिक चुप्पी ने परोक्ष रूप से इन सारे मिथ्यों की पुष्टि की है, क्योंकि जब यह भ्रम (झूठ) की रचना की जा रही थी तब सच को सामने लाने की जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। अगर देखा जाय तो इस पूरे मामले में तत्कालीन नेतृत्व भी भ्रम फैलाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। जिसका परिणाम है कि आज मीडिया से लेकर बुद्धिजीवियों के लेखन तक में अलगाववादियों के कुतर्क ही तथ्यों के रूप में सामने आते हैं, इसके विरुद्ध भारत का कोई आधिकारिक पक्ष भी है, यह भी कम लोगों को जानकारी है, जबकि प्रमाणिक तथ्य यह है कि जम्मू–कश्मीर को भारतीय संविधान में कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया है।

यदि तथ्यों के आधार पर बात करें तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि इसके समर्थन में जिस अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया जाता है, वह एक अस्थायी उपबंध है न कि विशेष। जहाँ तक अलग संविधान का प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव मैसुर राज्य में भी हुआ था और कोचीन–त्रावनकोर में भी। उन्होंने अपने लिए संवैधानिक प्रावधान भी बनाये थे जिन्हें अपेक्षित संशोधनों के साथ संघीय संविधान में ही शामिल कर लिया गया और पृथक् संविधान की आवश्यकता ही समाप्त हो गई। जम्मू–कश्मीर का संविधान भारतीय संविधान की तरह सार्वभौम नहीं है। वह जम्मू कश्मीर के भारत का अभिन्न अंग होने और सदैव रहने की पुष्टि करते हुए अपने आप को राज्य के निवासियों को आत्मार्पित करता है। राज्य का अलग झण्डा नेहरू–शेख के समझौते का दुष्परिणाम है तो छः साल की विधानसभा देश में लगे आपातकाल की काली स्मृति। यदि इन सारे तथ्यों को देश की जनता के सामने तथ्यों एवं तर्कों के साथ क्रमबद्ध ढंग से रखा जाता तो, आज जम्मू–कश्मीर को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

संविधान का कोई भी प्रावधान उसे मौलिक अधिकार प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। यदि अनुच्छेद 370 एवं 35ए की आड़ में यदि ऐसा हो रहा है तो उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। फिलहाल यह सारा मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन लंबित है लेकिन जम्मू–कश्मीर की राजनीति में अनुच्छेद 370 एवं 35ए की संवैधानिक समीक्षा की संभावना मात्र से ही ज्वार उठ खड़ा हुआ है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि विशेष दर्जे के नाम पर कई दशकों से जम्मू–कश्मीर में जो झूठ का भ्रमजाल फैलाया गया, उसमें स्थानीय राजनैतिक दलों से लेकर अलगाववादियों तक सभी साझीदार है। जहाँ चन्द लोग मालामाल व शक्ति सम्पन्न हो गये, वहीं लाखों लोगों को उनके मौलिक अधिकारों और मूलभूत सुविधाओं से वंचित भी रखा। अनुच्छेद 370 अथवा 35ए के निरस्त होने का अर्थ है विशेष दर्जे के उस आवरण का हट जाना जिसके पीछे दशकों की अराजकता, लूट, अनन्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार एवं अलगाववाद के सबूत हैं।

अनुच्छेद 370 के अतंर्गत उपजी–राजनैतिक व्यवस्था लाखों लोगों के हितों की कीमत पर चन्द लोगों के निहित स्वार्थों को पूरा करने का माध्यम बन गई। अनुच्छेद 370 का विरोध सामान्यतः इसलिए होता है कि उसके कारण शेष भारत के नागरिक वहाँ जाकर बस नहीं सकते, सम्पत्ति नहीं खरीद सकते, मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। जबकि इसके लिए अनुच्छेद 35ए जिम्मेवारी है जिसे अनुच्छेद 370 के प्रावधान का उपयोग करते हुए लागू किया गया। अनुच्छेद 35ए इस दृष्टि से अपवाद है कि यह भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ देने का निर्देश देता है। देश की संसद को बिना विश्वास में लिए भारतीय संविधान के साथ छेड़–छाड़ का यह एकमात्र अनोखा उदाहरण है। आश्चर्य की बात यह है कि संविधान के इस संशोधन का

मुख्य संविधान के संस्करणों में उल्लेखित नहीं किया गया, इसलिए यह सामान्य लेखा परीक्षा में नहीं पड़ता है। अधिकांश संविधान विशेषज्ञ एवं न्यायमूर्ति भी इसके आशय से 3–4 वर्ष पहले तक पूरी तरह से अनभिज्ञ थे।

संघीय संविधान में अनुच्छेद 370 की पृष्ठभूमि

जम्मू कश्मीर को मीडिया और राजनीतिक वर्ग आम तौर पर अनुच्छेद 370 के ही आइने में देखते रहते हैं। अलगाव, विवाद, हिंसा की भूमि बनाये रखने के हिमायती पत्रकार, राजनैतिक दल और तथाकथित बौद्धिक वर्ग दलील देते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर का भारत में पूरी तरह विलय हुआ ही नहीं है और इसीलिए संविधान ने इसे विशेष दर्जा दिया है। लेकिन अगर हम बिना पूर्वाग्रह के संविधान में दर्ज इस धारा पर नजर डालें तो पता चलेगा कि संविधान ने जम्मू कश्मीर को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया है। हां, यदि किसी अस्थाई प्रबंध को ही विशेष दर्जा कहा जाए तो बात अलग है। तब तो कहना होगा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की विशेषता यह है कि यह पूरी तरह अस्थाई व्यवस्था है, और इसलिए संविधान में इसके नाम से ही स्पष्ट है। संविधान में यह अनुच्छेद इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि जम्मू कश्मीर का भारत के साथ पूर्ण विलय नहीं हुआ है। जिन शर्तों पर देश की अन्य रियासतों का विलय हुआ उन्हीं पर जम्मू कश्मीर का भी हुआ। जिस समय अनुच्छेद 370 के प्रारूप को संविधान सभा में विचार के लिए रखा गया उसी समय यह आश्वासन दिया गया था कि यह अस्थाई व्यवस्था है। पाकिस्तान के आक्रमण के कारण राज्य का अपना संविधान नहीं बना था इसलिए एक अंतरिम प्रबंध के लिए इस अनुच्छेद को लागू करना पड़ा। ऐसी अस्थाई व्यवस्थाएँ, किसी युद्ध, प्राकृतिक आपदा आदि से उत्पन्न स्थिति से पैदा होती हैं। अगर इसे ही विशेष दर्जा कहा जाए तो ऐसा मानने वालों को यह भी मानना होगा कि उस समय यह भी कहा गया था कि जमीनी हालात सुधर जाने के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी वह सामान्य संवैधानिक व्यवस्था लागू होगी जो अन्य राज्यों में लागू की गई है।

अनुच्छेद 370 होना चाहिए कि नहीं, उसे हटाया जाना चाहिए कि नहीं आदि प्रश्नों पर बहस होती रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन पिछले 70 से भी अधिक सालों में संघीय संविधान की अधिकतर व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर पर लागू की जा चुकी है। इन्हें उसी प्रक्रिया के अंतर्गत लागू किया गया है जो अनुच्छेद 370 में दर्ज है। लेकिन इस प्रक्रिया से राज्य के कुछ राजनैतिक गुटों में परेशानी पैदा होने लगी। यानी इन बदलावों को राज्य के लोगों द्वारा चुनी गई विधान सभा की अनुमति से ही लागू किया गया। व्यवहार में अनुच्छेद 370 संघीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को राज्य पर लागू करने में वैसा बाधक साबित नहीं हो रहा था जैसे उन्होंने सोचा था। इसी के चलते राज्य के कुछ राजनैतिक गुटों में परेशानी पैदा होने लगी।

संविधान में अनुच्छेद 35ए कहां से आया?

यह याद रखना होगा कि जम्मू कश्मीर के पास भारत विभाजन के समय मोटे तौर पर स्पष्ट रूप से तीन ही विकल्प थे।

1. भारत के साथ मिलना चाहिए जैसा कि अधिकतर भारतीय रियासतों ने किया था।
2. पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए।
3. रियासत को न भारत में और न ही पाकिस्तान में मिलना चाहिए अपितु स्वतंत्र देश की तरह रहना चाहिए।

लेकिन राज्य में एक चौथी योजना भी आकार धारण कर रही थी। नेशनल कान्फ्रेंस के मुखिया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऐसा राज्य चाहते थे जो कि पूरी तरह उन के अधिकार में रहे, किसी अधिनायक की तरह। पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में ऐसे माडल और उदाहरण उस समय भी उपलब्ध थे। वे जानते थे कि साम्राज्यवादी शक्तियां इस प्रकार के माडल का समर्थन करेंगीं, बशर्ते कि उनके आर्थिक और राजनैतिक हित इससे सधे। भारतीय उपमहाद्वीप में एक और सऊदी अरब बने, इसमें अंग्रेजों को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन ऐसा देश बनाने की क्षमता शेख अब्दुल्ला में तो नहीं थी। इसलिए पाकिस्तान या भारत, दोनों में से किसी एक देश को इस योजना की पूर्ति के लिए माध्यम बनाना होगा। पाकिस्तान तो किसी भी हालत में इसमें सहायक नहीं हो सकता था। पाकिस्तानी नेताओं ने तो शेख अब्दुल्ला को यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था। इसलिए भारतीय नेताओं को ही मुगालते में रखने की ही समरनीति अपनाना आवश्यक था। इसी समरनीति के तहत कश्मीरियों के नाम पर जम्मू कश्मीर के लिए अलग संवैधानिक व्यवस्था बनाये रखने की मांग की। अनुच्छेद 370 की मांग उन्होंने इसी लिए की थी। लेकिन बदले हुए राजनैतिक हालात में जब यह अनुच्छेद अपनी धार खोने

लगा तो उनका और उनके समर्थकों का घबराना स्वाभाविक था। इसलिए अनुच्छेद 370 की शक्तियों की व्याख्या करने के बहाने पुराने अनुच्छेद को नई धार देने की एक चाल चली गई। संघीय संविधान में 35ए के नाम से चुपचाप एक नये अनुच्छेद का आरोपन उसी का परिणाम है। यानी अनुच्छेद 370 के बावजूद संघीय संविधान को जम्मू कश्मीर पर पूरी तरह लागू करने की जो प्रक्रिया चालू हो गई थी, उसे निष्प्रभावी करने का षड्यंत्र रचा गया।

14 मई 1954 को राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू कश्मीर में प्रभावी) आदेश 1954 के नाम से एक अधिसूचना जारी की। इसने 1950 में इसी उद्देश्य के लिए जारी पूर्व अधिसूचना को निरस्त कर दिया। इस नई अधिसूचना के अनुसार :

"in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to order... (j) After article 35, the following new article shall be added, namely 35A."

(संविधान के अनु० 370(1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर के संविधान से सहमति रखते हुए संविधान के अनु० 35 के बाद अनु० 35ए को जोड़ने का आदेश दिया।)

संघीय संविधान में राष्ट्रपति के आदेश मात्र से ही डाल दिये गये इसे नये अनुच्छेद में क्या प्रावधान हैं, इसे देख लेना भी लाभदायक रहेगा। इस अनुच्छेद का मूल पाठ नीचे दिया गया है :

"35 A. Saving of laws with respect to permanent residents and their rights.—Notwithstanding anything contained in this Constitution, no existing law in force in the State of Jammu and Kashmir, and no law hereafter enacted by the Legislature of the State:[2] (a) defining the classes of persons who are, or shall be, permanent residents of the State of Jammu and Kashmir; or (b) conferring on such permanent residents any special rights and privileges or imposing upon other persons any restrictions as respects—

(i) employment under the State Government;
(ii) acquisition of immovable property in the State;
(iii) settlement in the State; or
(iv) right to scholarships and such other forms of aid as the State Government may provide, shall be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any rights conferred on the other citizens of India by any provision of this Part."

(अनुच्छेद–35(ए) स्थायी निवासी के अधिकारों को बचाने वाले कानून को ध्यान में रखते हुए संविधान में इस बात के होते हुए भी जम्मू और कश्मीर में प्रदत्त कोई भी कानून और इसके बाद राज्य विधायी द्वारा निर्मित कोई भी कानून क्रियान्वित नहीं किया जा सकता कि 2(ए) व्यक्तियों का कौन वर्गद्य जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी है या होगा?

या (बी) वैसे स्थायी निवासी को कोई विशेषाधिकार और सुविधा या दूसरे व्यक्तियों पर कोई प्रतिबंध निम्नलिखित बातें संबंधित बातों के लिए नहीं होगा :

(क) राज्य सरकार के अंतर्गत नियुक्ति के संबंध में।
(ख) राज्य में अचल संपत्ति अर्जित करने के संबंध में।
(ग) राज्य में बंदोबस्ती के संबंध में।
(घ) किसी छात्रवृति तथा अन्य दूसरे तरह का सहयोग जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करे शून्य नहीं होगा, इस आधार पर कि यह असंगत है या किसी अधिकार को अभिग्रहीत या प्रतिबंधित करता हो जो भारत के दूसरे नागरिक को प्रतिभूत है, इस भाग के किसी व्यवस्था द्वारा।)

इस आदेश को जारी करने की आवश्यकता क्या थी, जबकि इससे पहले इसी उद्देश्य से एक आदेश लागू था? इसके पीछे जम्मू कश्मीर को देश से भिन्न दिखाने की राजनैतिक सोच थी। सांस्कृतिक रूप से तो कश्मीर भारत का केन्द्र रहा है। भौगोलिक रूप से जम्मू कश्मीर भारत का सुरक्षा द्वार रहा है। इसलिए आखिर जम्मू कश्मीर को किस मायने में देश के शेष राज्यों से भिन्न दिखाने की कोशिश की जा रही थी? भिन्नता केवल इस बात की बताई जाती थी यह राज्य मुस्लिम बहुल है। इसमें भी ईमानदारी का अभाव था। साम्प्रदायिक आधार पर अलगाव के कारण ही पाकिस्तान बना और अगर जम्मू कश्मीर पर भी वही नियम लागू

करना था तो शेख अब्दुल्ला को साफ तौर पर जिन्ना का प्रस्ताव मान लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो योजना थी, कि जम्मू कश्मीर को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जो भारत और पाकिस्तान दोनों से स्वायत्त हो और दोनों की ही संवैधानिक व्यवस्थाओं से बाहर हो। तब भारत सरकार का तात्कालिक हालात की दुहाई दे कर या पाकिस्तान का हौवा दिखा कर मुगालते में रखने में वे सफल हो गये। लेकिन अनुच्छेद 370 को लागू करने के बहाने देश के संविधान में 35ए के नाम से नया अनुच्छेद गुपचुप तरीके से जोड़कर सरकार ने जो कदम उठाया है उसने न केवल जम्मू व कश्मीर में अलगाव को स्थाई तत्त्व बनाने का काम किया अपितु भारतीय संवैधानिक व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया।

अनुच्छेद 35ए का जन्म भारतीय संविधान के मनमाने इस्तेमाल की दर्दनाक कहानी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के किसी भाग या सांविधानिक व्यवस्था का संशोधन संसद के मार्ग से करने की बाध्यता रखी थी। संसद को किनारे कर किसी और गली से निकल कर मतलब निकालने की आशंका उन्हें नहीं थी। 1954 में राष्ट्रपति ने एक ओदश जारी किया जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 370 के अंतर्गत शक्तियों और सीमाओं का निर्धारण करना था। इसमें जम्मू कश्मीर के नागरिकों के ऐसे अधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया जिनका आश्वासन भारत के नागरिक के रूप में भारत का संविधान उन्हें देता है। यानी इस आदेश से भारत के संविधान की सीमाएँ भी बांध दी गई हैं। इस आदेश में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर जम्मू कश्मीर का कोई नागरिक यह शिकायत करता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसकी यह शिकायत अदालतों में मान्य नहीं होगी। महत्त्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति का यह आदेश तुरंत संविधान का भाग बना दिया वह भी भारतीय संसद में पेश किये बिना ही लोगों की नजरों से छिपाने के लिए इसे अनुच्छेद 35 के बाद नहीं रखा गया अपितु परिशिष्ट में डाल दिया गया जहां किसी की नजर नहीं पड़ती।

प्रश्न है कि क्या देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी पदाधिकारी को भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? क्या भारतीय संविधान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायधीश को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बदलने या कम करने या समाप्त कर सके। अनुच्छेद 35ए लागू होने के पश्चात् जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक तो रहता है लेकिन उसके अधिकारों में इतनी कमी हो जाती है कि वह भारत का पूर्ण नागरिक हो ही नहीं सकता। उसके वे मौलिक अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं जिनकी भारत का संविधान अपने नागरिकों को गारंटी देता है। क्या आंशिक नागरिकता की ऐसी कल्पना भारत का संविधान बनाने वालों ने की थी? यह एक गम्भीर प्रश्न है क्योंकि इसका सम्बन्ध केवल अनुच्छेद 370 से ही नहीं है, यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार के अवांछित हस्तक्षेप का प्रश्न है। हमें याद रखना होगा कि राष्ट्रपति, मंत्रिमण्डल यानी तत्कालीन सरकार की सिफारिश पर ही फैसला करते हैं। इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि क्या राष्ट्रपति संसद को किनारे रख कर कोई संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं, अपितु यह भी है कि क्या तत्कालीन दलीय सरकार अपने दलीय हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति को ऐसा आदेश जारी करने की सलाह दे सकती है? इतिहास गवाह है कि अनेक देशों में बहुमत के ऐसे ही दुरूपयोग से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं तानाशाही में बदल गईं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35ए के अंतर्गत राज्य की विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य विधानसभा ने निश्चय किया कि राज्य के संविधान के लागू होने की तिथि 1954 से 10 वर्ष पूर्व से राज्य में रह रहे नागरिक ही राज्य के स्थायी निवासी माने जायेंगे। संविधान सभा ने यह भी निश्चित किया कि जम्मू–कश्मीर के जिन निवासियों (जो 1944 से पूर्व में यहाँ रहते थे) के पास स्थाई निवासी प्रमाण पत्र होगा, वे ही राज्य द्वारा प्रदत सभा मूल अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे। इस कारण से शेष भारत के निवासी जम्मू–कश्मीर में न तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और न ही जमीन खरीद सकते हैं उनको राज्य के अन्तर्गत मतदान करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है उनके न तो यहाँ पर छात्रवृति प्राप्त कर सकते हैं और न ही व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं अनुच्छेद 35ए के कारण आज राज्य के लाखों शरणार्थी, गोरखा, बाल्मीकि, समाज व महिलाएँ अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है।

जम्मू–कश्मीर की व्याप्त समस्या देश के सिर्फ एक भू–भाग का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है हमें इस समस्या से निपटने के लिए कुछ तत्वों की ओर से प्रायोजित मुद्दों से बाहर निकलकर तर्कों एवं तथ्यों पर बात करने की आवश्यकता है। इस राज्य में ऐसे कई प्रश्न है जिससे सरकारें नजरे चुराकर

लोक–लुभावन राजनीति तो कर रही है, लेकिन इसके समापन की दिशा में कोई भी सार्थक पहल नहीं कर रही है। भारत ने विपन्नता देखी, भीषण अकाल देखें, गंभीर प्राकृतिक आपदाएँ झेली, दंगों का दौर देखा, आपातकाल के खिलाफ संघर्ष कर लोकतंत्र को पुनः स्थापित किया। हर परीक्षा में भारत एक राष्ट्र के रूप में और अधिक मजबूत होकर उभरा, फिर जम्मू–कश्मीर के ही मामले में ऐसा क्या है जिसे हल करने में आज तक सफलता नहीं मिल पाई है। यह विडम्बना है कि जम्मू–कश्मीर से जुड़े प्रत्येक पहल पर आजादी के बाद से ही आवरण डालने की पूर्ण कोशिश की गई, परिणाम स्वरूप कोई वहाँ की स्थितियों की मनमानी व्याख्या करता रहा है और सच जानने वालों की चुप्पी इस तिलिस्म को ओर गहरा कर रही है।

आज 35ए के प्रश्न पर न्यायपालिका कटघरे में खड़ी प्रतीत हो रही है, जो न्यायपालिक सबरीमाला, सहजीवन, आतंकवादियों को फांसी रोकने जैसे राष्ट्र को विखण्डित करने वाले मुद्दे पर फैसला तुरंत सुनाती है, वहीं न्यायपालिका 35ए जैसे राष्ट्रीय विषयों की अनदेखी एवं टालने का प्रयास करती रही है।

धारा 370 को राजनीतिज्ञों एवं देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा केवल एक वोट बैंक का माध्यम ही बना डाला है, जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण अभी हाल में बिहार के मुख्यमंत्री का यह कहना कि धारा 370 को नहीं हटाया जा सकता क्योंकि उनकी समझ इस धारा के संदर्भ में यह है कि यह धारा भारत के एक खास मानसिकता वाले नागरिकों को अपने पक्ष में गोलबंद करने का माध्यम है। आवश्यकता इस बात की है कि इस राष्ट्रीय विषय पर एक जबरदस्त जनमत तैयार किया जाए जिससे ऐसी खोखली मानसिकता वाले लोग अपने विचार व्यक्त करने वाले लोग सचेत हो जाएँ। यह जनमत तैयार करना होगा अकादमिक कार्य के द्वारा जिससे आज तक जम्मू कश्मीर का यह विषय अछूता रहा।

अभी हाल में पुलवामा का दुर्भाग्यपूर्ण घटना (14 फरवरी 2019) ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर को लेकर एक सहमति दिखाई पड़ती है कि लगभग 7 दशकों के इस कोढ़ का समुचित इलाज करना होगा। वर्तमान केन्द्र सरकार ने भी जनभावना का सम्मान करते हुए समस्या के जन्मदाता पर यथासंभव चोट करने का प्रयास किया, किंतु केन्द्र सरकार द्वारा किया गया प्रयास एक बाह्य कार्य है। इस समस्या का समुचित इलाज आंतरिक है, वह है इसके बारे में अधिक–से–अधिक लोगों तक सही तथ्य को पहुंचाना एवं वोट बैंक की राजनीति से अलग हटकर राष्ट्रहित के संदर्भ में बातों को सही परिप्रेक्ष्य में देश के समक्ष रखना। तभी हम इस अतिगंभीर संवैधानिक विसंगति को दूर कर सकने में सफल हो सकेंगे।

संदर्भ सूची :

1. जम्मू कश्मीर के जननायक : महाराजा हरि सिंह–प्रो० (डॉ०) कुलदीप चन्द अग्निहोत्री, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. जम्मू कश्मीर की अनकही कहानी–प्रो० (डॉ०) कुलदीप चन्द अग्निहोत्री, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. Article 370 : Evolving Clarity Beyond the Conundrum – P. Kumar, Mewar University Press, New Delhi
4. 'और भी आयाम जम्मू कश्मीर के' पद्मश्री जवाहर लाल कौल, विशेष व्याख्यान (प्रकाशित), केन्द्रीय विश्वविद्यालय हिमाचाल प्रदेश, धर्मशाला (हि० प्र०)
5. Legal & Constructional States of Jammu Kashmir, Daya Sagar, Jammu
6. जम्मू और कश्मीर, सोमनाथ धर, राष्ट्रीय पुस्तक न्याय, नयी दिल्ली, भारत